

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2(ग)(प्रशिक्षण) अलेसे- I/ 6358-6420

दिनांक:-10.07.2015

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I/II, एवं कनिष्ठ लेखाकार को अतिरिक्त निदेशक, एच.सी.एम.रीपा, उदयपुर द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा उपापन अधिनियम एवं नियम विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15.07.2015 से 17.07.2015 के लिए मनोनीत किया जाता है:-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम सलेअ ग्रेड-I/II, क.ले. (सर्व श्री)	पदस्थापन विभाग
1	1823	नरपत सिंह जेतावत	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, उदयपुर
2	2061	इन्द्र भान मीणा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) उदयपुर
3	6528	रतन लाल वर्मा	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, उदयपुर
4	6511	सुरेन्द्र कुमार तातेड	अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर
5	4443	भीमसिंह मीणा	अधिकाधी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनआरएचएम) खण्ड उदयपुर
6	4731	पारसमल बोहरा	आयुक्त जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर
7	1484	राजेश कुमार दीक्षित	उप वन संरक्षक, राजसमंद
8	1968	राजेन्द्र प्रसाद आलडिया	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजसमंद
9	1942	रोहिताश्व सिंह मीणा	जिला परिषद ग्रा.वि.प्र. राजसमंद
10	6525	सुनीत देव	जिला परिषद, नरेगा सिरौही
11	5589	सम्पत राज	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
12	888	देवारां लुहार	राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र) पाली
13	8648	गोपाल लाल सुखवाल	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) चित्तौड़गढ़
14	654	रामप्रकाश शर्मा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डाइट) चित्तौड़गढ़
15	3591	भगवती लाल मीमावत	संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग उदयपुर
16	2530	राजेश कुमार	अधी. अभि., सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर
17	5230	सुरेन्द्र कुमार	एन.सी.सी.ग्रुप मुख्यालय उदयपुर
18	9118	योगेन्द्र कुमार कुन्दरा	विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगारार, चित्तौड़गढ़
19	9120	जगमोहन भूपेश	विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी, चित्तौड़गढ़
20	9491	योगेश कुमार शर्मा	परियोजना प्रबन्धक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग चित्तौड़गढ़
21	9649	नागेन्द्र रोट	जिला आयुर्वेद अधिकारी डूंगरपुर
22	9102	मदनलाल मेघवाल	जिला आबकारी अधिकारी डूंगरपुर
23	9138	गंगाराम बलाई	विकास अधिकारी पंचायत समिति आसपुर डूंगरपुर
24	9497	सुशील कुमार	जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़
25	9128	रामकरण मीणा	विकास अधिकारी पंचायत समिति छोटीसादड़ी प्रतापगढ़
26	9524	चन्द्रशेखर शर्मा	विकास अधिकारी पंचायत समिति प्रतापगढ़
27	9489	नितिन शर्मा	प्राचार्य यू.जी. कॉलेज राजसमंद

28	9536	सुनील कुमार अमन	प्राचार्य पी.जी.कॉलेज छात्र राजसमन्द
29	9336	रवि प्रकाश शर्मा	पुलिस अधीक्षक राजसमन्द
30	9273	सुनीता मीणा	कोषाधिकारी शहर उदयपुर
31	9247	श्रीमति ममता मल्कानी	कोषाधिकारी शहर उदयपुर
32	9219	रतनलाल सालवी	उपकोष लसाड़िया उदयपुर
33	9250	अशोक कुमार	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) राजसमन्द
34	9223	पवन कुमार पालीवाल	कोषाधिकारी प्रतापगढ़
35	9254	आनन्दलाल रैगर	उपकोषाधिकारी सागवाड़ा डूंगरपुर
36	9269	प्रवीण कुमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डूंगरपुर
37	9191	नीरज तिवाड़ी	अधी. अभि., (वृत्त) जन स्वा. अभि. विभाग डूंगरपुर
38	9183	नरेन्द्र कुमार	पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़
39	9189	रामावतार कल्याण	उपकोषाधिकारी कुशलगढ़ बांसवाड़ा
40	9208	जुगल किशोर	जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) बांसवाड़ा

उपरोक्त कार्मिकों को आदेश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 15.07.2015 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर पालना से अवगत करावें। प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रशिक्षण में भाग लेना संभव नहीं हो तो इस विभाग से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

अन्य आदेशों के अभाव में प्रशिक्षण समाप्ति पर उपरोक्त सभी अधिकारी अपने पदस्थापन कार्यालयों में उपस्थिति देंगे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2(ग)(प्रशिक्षण) अलेसे- I/ 6358-6420
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 10.07.2015

1. निदेशक, हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एवं पाठ्यक्रम निदेशक हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान परिसर-उदयपुर, कृपया उपरोक्त अधिकारियों की प्रशिक्षण में उपस्थिति की सूचना से इस विभाग को अवगत करावे।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारी को उक्त प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
4. कोषाधिकारी
5. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I/II, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हो एवं उपस्थिति की सूचना अविलम्ब भिजवावे। उपस्थिति नहीं देने की दशा में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
6. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड हेतु
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)